संख्या-418/49-1-2022-53(मिस)/2017

प्रेषक,

बी०एल० मीणा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।
3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 18 अगस्त, 2022

विषयः-प्रदेश में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटराइजेशन की केन्द्र पुरोधानित योजना को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक कृपया सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं०-एल-12013/2/2021-I&P दिनांक 30 जून, 2022 (प्रति संलग्नकों सहित संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0-एल-12013/2/2021-I&P दिनांक 30 जून, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में पैक्स के कम्प्यूटराइजेशन की योजना को राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

3- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय स्तर पर, नाबार्ड द्वारा सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के प्रावधानों के अनुसार खुली बोली के माध्यम से साइबर सुरक्षा और डेटा भंडारण सहित सामान्य सॉफ्टवेयर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के पैक्स सॉफ्टवेयर विक्रेता (एनएलपीएसवी) को नियुक्त किया जा रहा है। राज्यों हेतु, खुली बोली के माध्यम से सिस्टम इंटीग्रेटर्स का एक केंद्रीय पैनल तैयार करने की जिम्मेदारी भी नाबार्ड को दी गयी है।

सिस्टम इंटीग्रेटर्स हार्डवेयर की आपूर्ति करेगा, लीगेसी डेटा तैयार करेगा एवं इस डेटा को सॉफ्टवेयर में डिजिटाइज़ और पोर्ट करेगा, सामान्य सॉफ्टवेयर में आवश्यक राज्य विशिष्ट अनुकूलन की अनुशंसा करेगा और समर्थन प्रणाली भी प्रदान करेगा। परियोजना में सॉफ्टवेयर को ऑफलाइन मोड पर चलाने और बाद में नेटवर्क में समस्या होने पर सिस्टम में डेटा अपलोड करने का भी प्राविधान रहेगा। डेटा डीसीसीबी/राज्य डेटा केंद्रों के माध्यम से सेंट्रल कोर डेटा सेंटर/राष्ट्रीय स्तर डेटा रिपोजिटरी (एन०एल०डी०आर०) को भेजा जाना है, तथा एन०एल०डी०आर० को क्लाउड स्टोरेज पर होस्ट किया जाएगा।

4- राष्ट्रीय स्तर की निगरानी और कार्यान्वयन समिति (एनएलएमआईसी) को आवश्यक इनपुट प्रदान करने एवं राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर समीक्षा की सुविधा के लिए आवश्यक रिपोर्ट और डैशबोर्ड (एमआईएस आदि) तैयार करेगा। भारत सरकार को प्रगति की अद्यावधिक रिपोर्टिंग करने तथा पैक्स को व्यावसायिक पहलुओं पर मार्गदर्शन करते हुए चयनित विक्रेताओं की निगरानी करते हुए सभी स्तरों पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की योजना बनाना और उसका निष्पादन करने के साथ ही डेटा का संरक्षण, विश्लेषण और विश्लेषण के आधार मापदण्डों का निर्माण करने के साथ ही परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सभी पहलुओं पर भी नाबार्ड/भारत सरकार से परामर्श लेगा।

5- राज्य सरकारों द्वारा पैक्स का चयन प्राथमिकता के अनुसार कम्प्यूटरीकरण के लिए किया जाना है, जिसके लिए परियोजना में प्रत्येक 200 पैक्स के क्लस्टर पर औसतन एक सहायता केंद्र स्थापित करेगा। उक्त सहायता केंद्र राज्य परियोजना इकाई (पीएमयू) को रिपोर्ट करेंगे जो राज्य स्तरीय सहायता केंद्र के रूप में भी कार्य करेंगे। पीएमयू नाबार्ड के लखनऊ कार्यालय में स्थापित होगा। यह संपूर्ण समर्थन प्रणाली राज्य सरकार के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण में होगी।

6- राज्य सरकार स्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य के नाबार्ड के क्षेत्रीय मुख्यालय में अपने अधिकारियों से गठित टीम के सदस्यों के साथ एक कोर टीम बनायेगा। नाबार्ड अनुबंध के आधार पर पीएमयू के लिए पेशेवर/तकनीकी विशेषज्ञों को रख सकता है। राज्य पीएमयू को नाबार्ड/संविदा कर्मी संचालित करेंगे। नाबार्ड भारत सरकार की ओर से सामान्य सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर पर उत्पन्न/कैप्चर किए गए सभी वित्तीय और व्यक्तिगत डेटा के संरक्षक के रूप में भी कार्य करेगा। परियोजना के पूरा होने पर, नाबार्ड राज्य सरकार के समन्वय से इस प्रणाली का प्रबंधन करेगा और इसकी स्थिरता के लिए जिम्मेदार होगा। नाबार्ड राज्यवार फीडबैक/जरूरतों के आधार पर केन्द्रीय सॉफ्टवेयर के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर के पैक्स सॉफ्टवेयर विक्रेता (एनएलपीएसवी) के साथ ही कार्य करते हुए राज्य स्तर के पी०एम०यू० का भी मार्गदर्शन करेगा।

7- भारत सरकार को सहकारिता मंत्रालय द्वारा परियोजना के समग्र कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर की निगरानी और कार्यान्वयन समिति का गठन किया जा चुका है। उक्त समिति के कर्तव्यों में परियोजना के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन, दिशा- निर्देशों का अनुमोदन तथा प्रगति की समीक्षा और यदि आवश्यक हो, तो परियोजना के समग्र बजट परिव्यय के भीतर परियोजना के एक घटक से दूसरे घटक में निधियों के विनियोग पर विचार करना और अधिकृत करना भी सम्मिलित है।

8- इसी प्रकार राज्य स्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति (एसएलआईएमसी) का निम्नवत गठित की गई है:-

<u>राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति (एस०एल०आई०एम०सी०)</u>

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन- अध्यक्ष
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन- सदस्य
(3) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, 50प्र0, लखनऊ- सदस्य
(4) मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ- सदस्य
(5) तीन चिन्हित जिला सहकारी बैंक लि० (रोटेशन के अनुसार)- सदस्य
(6) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आई०टी० एवं
इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन, विशेष आमंत्रित
मुख्य महाप्रबन्धक, बी०एस०एन०एल० लखनऊ सदस्यगण
राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०-
(7) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ- सदस्य सचिव

उक्त समिति राज्य स्तर पर अनुमोदित दिशानिर्देशों को लागू करने और एनएलएमआईसी को फीडबैंक प्रदान करने एवं राज्य में परियोजना के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और संचालन करने के साथ ही इस परियोजना में लिए जाने वाले प्रस्तावों की जांच एवं सिफारिश करेगी तथा समिति के माध्यम से अनुमोदन हेतु नाबार्ड को प्रस्ताव भेजे जायेंगे।

प्रस्तावित परियोजना में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिला स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति (डी०एल०आई०एम०सी०) को निम्नवत गठित की गई है:-

<u>जिला स्तरीय कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति (डी०एल०आई०एम०सी०)</u>

(1) जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट- अध्यक्ष
(2) जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड- सदस्य
(3) डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०- सदस्य
(4) जी०एम०/टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (टी०डी०एम०), बी०एस०एन०एल०- सदस्य
(5) सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक/उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, सदस्य
सहकारिता विभाग, उ०प्र०।

(6) सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला सहकारी बैंक लि०- सदस्य संयोजक

(7) चयनित प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति (पैक्स) के प्रतिनिधि- सदस्य

उक्त जिला स्तरीय समिति सम्पूर्ण संरचना के अन्तर्गत क्रियान्वयन और निगरानी प्रणाली का प्रथम सोपान होगी एवं निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक सुविधायें यथा बिजली, कनेक्टिविटी इत्यादि प्रदान करते हुए क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार होगी।

9- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में 1500 पैक्स, वर्ष 2023-24 में 2900 पैक्स तथा वर्ष 2024-25 में 3000 पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन किया जायेगा। नाबार्ड द्वारा पांच वर्ष तक योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु हँड होल्डिंग (Hand Holding) करते हुए समस्त कार्य किया जायेगा तथा परियोजना की समाप्ति तिथि 31.03.2027 होगी।

10- उक्त गठित समितियों प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति (पैक्स) के कम्प्यूटराईजेशन के संबंध में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्गत गाईड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगी।

11- इस योजना में यदि भविष्य में किसी परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होगी तो, इस हेतु मा० मुख्यमंत्री जी उ०प्र० का अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाएगी।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

(बी०एल० मीणा)
प्रमुख सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या-418(1)/49-1-2022-53(मिस)/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को उनके उक्त पत्र दिनांक 30 जून 2022 के क्रम में।

2- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) सहकारिता विभाग, उ०प्र० शासन ।

3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4- अपर मुख्य सचिव, वित विभाग, उ०प्र० शासन।

5- अपर मुख्य सचिव, आई०टी०एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।

6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

7- अपर अयुक्त एवं अपर निबन्धक (बैंकिंग), सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से कि पैक्स के कम्प्यूटराईजेशन के सम्बन्ध में भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय नई दिल्ली, द्वारा समय-समय पर निर्गत गाईड लाइन्स के अनुसार प्रकरण में समस्त कार्यवाहियों समयान्तर्गत पूर्ण कराते हुये समस्त संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त एवं निबन्धक एवं समस्त सचिव/मुख्य

कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि०, उत्तर प्रदेश को अपने स्तर से सूचित करने तथा अपेक्षित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

8- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ।

9- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, लखनऊ।

10- मुख्य महाप्रबन्धक, बी०एस०एन०एल०, लखनऊ।

11- समस्त अनुभाग, सहकारिता विभाग, उ०प्र०, शासन।

12- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(अच्छे लाल सिंह यादव)
विशेष सचिव।